

स्थाई आदेश संख्या: ०१ /२०१६:

जजशिप रुद्रप्रयाग में वर्ष 2015 के लिये नियुक्त विभिन्न श्रेणी के आयुक्तों का कार्यकाल दिनांक 31-12-2015 को समाप्त हो रहा है। अतः वर्ष 2016 के लिये विभिन्न आयुक्तों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रकीर्ण आदेश संख्या: 17 / 2016, दिनांकित 18-12-2015, के अनुसार गठित कमेटी द्वारा विधि व्यवसाय में कार्यरत अधिवक्ताओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। विभिन्न आयुक्तों की नियुक्ति हेतु गठित कमेटी की संस्तुति दिनांकित 2-6-2016 के आधार पर, जजशिप रुद्रप्रयाग, के मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय ऊखीमठ एवं जखोली के लिये निम्न वर्णित अधिवक्तागण को दिनांक 01-01-2016 से दिनांक 31-12-2016 तक की अवधि के लिये शपथ-आयुक्त एवं सर्वे आयुक्त के पदों पर नियुक्त किया जाता है-

शपथ आयुक्त

मुख्यालय रुद्रप्रयाग:-

क्रम संख्या	नाम अधिवक्ता	जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग	अन्य विवरण
1-	श्री गम्भीर सिंह रावत	जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग	
2-	श्री आशीष नेगी	
3-	श्री विनोद कुमार त्रिपाठी	
4-	श्री प्यार सिंह नेगी	
5-	श्री कान्ता प्रसाद ढोडियाल	
6-	श्री युवराज जोशी	
7-	श्री राजीव भण्डारी	
8-	श्री मनोज कपरुवान	

तहसील मुख्यालय ऊखीमठ:-

क्रम संख्या	नाम अधिवक्ता	तहसील मुख्यालय	अन्य विवरण
-------------	--------------	----------------	------------

1-	श्री वीरेन्द्र दत्त	ऊखीमठ	
2-	श्री नागेन्द्र सिंह राणा	तहसील ऊखीमठ	

तहसील मुख्यालय जखोली:-

क्रम संख्या	नाम अधिवक्ता	तहसील मुख्यालय, जखोली	अन्य विवरण
1-	श्री उदय सिंह जगवाण	तहसील जखोली	

सर्वे आयुक्त

जिला मुख्यालय रूद्रप्रयाग:-

क्रम संख्या	नाम अधिवक्ता	जिला मुख्यालय, रूद्रप्रयाग	अन्य विवरण
1-	श्री महाबीर सिंह बुटोला	जिला मुख्यालय, रूद्रप्रयाग।	

तहसील मुख्यालय, ऊखीमठः-

क्रम संख्या	नाम अधिवक्ता	मुख्यालय	अन्य विवरण
1-	श्री राजेन्द्र देव भट्ट	तहसील ऊखीमठ	

उपरोक्त नव-नियुक्त शपथ-आयुक्तों एवं सर्वे आयुक्तों को निम्न प्रकार से निर्देशित किया जाता है कि—

(1)— नव नियुक्त शपथ-आयुक्तों में से वरिष्ठतम् आयुक्त श्री प्यार सिंह नेगी को जिला मुख्यालय रूद्रप्रयाग, श्री वीरेन्द्र दत्त को तहसील मुख्यालय ऊखीमठ एवं श्री उदय सिंह जगवाण को तहसील मुख्यालय जखोली का शपथ-आयुक्तों का टोली नायक (Group leader) नियुक्त किया जाता है।

(2)— समस्त टोली नायकों को अपने-अपने मुख्यालयों में आयुक्तों के बैठने हेतु उचित स्थान एवं शपथ कूपन के सत्यापन करने के लिये कार्यावधि

सुनिश्चित कर इसकी सूचना जिला बार संघ के माध्यम से इस न्यायालय एवं न्यायालय के प्रशासनिक कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करनी होगी।

(3)– प्रत्येक न्यायालय में नियुक्त शपथ आयुक्त अपने—अपने मुख्यालय में एक पूल का गठन करेंगे एवं शपथ कूपन सत्यापन कार्य से प्राप्त आय को पूल्ड करेंगे। किसी भी आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से शपथ कूपन सत्यापित करने का अधिकार नहीं होगा।

(4)– अपने—अपने मुख्यालय में वरिष्ठतम् ग्रुप लीडर का उत्तरदायित्व होगा कि वह पूल्ड में प्राप्त समस्त आय को अपनी अभिरक्षा में रखेगा एवं उसका पूर्ण लेखा—जोखा निर्धारित प्रपत्र (पंजिका) में रखेगा तथा प्रत्येक सप्ताह में कुल प्राप्त आय को समस्त आयुक्तों में समान धनराशि का वितरित करेगा तथा इसे प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में एक बार जिला जज अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेगा।

(5)– प्रत्येक शपथ आयुक्त को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह शपथ पत्र के सत्यापन के समक्ष शपथ पत्र पर, अपना पूर्ण एवं स्पष्ट नाम अंकित कर शपथ—आयुक्त की रबर स्टाम्प को स्पष्ट रूप से लगायेंगे।

(6)– जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय पर स्थित ग्रुप लीडर न्यायालय से प्राप्त कूपन्स का पूर्ण लेखा—जोखा रखने के सम्बन्ध में अलग से एक रजिस्टर अनुरक्षित करेगा एवं कूपन्स लेने से पूर्व, न्यायालय से पूर्व में प्राप्त कूपन्स का पूर्ण रूप से प्रयोग में लाने जाने सम्बन्धी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा शपथ—आयुक्तों द्वारा अनुरक्षित कूपन्स पंजिका को जिला जजी के प्रशासनिक कार्यालय/नजारज अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त निर्देशों का कढाई से अनुपालन किया जाएगा अन्यथा किसी भी प्रकार की अवहेलना करने अथवा पाये जाने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।


 (आशीष नैथानी)
 जनपद न्यायाधीश,
 रुद्रप्रयाग।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक: ०५ /स्थाई आ०-२०१०: दिनांक: रुद्रप्रयाग:जनवरी: ०४, २०१६:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित-

- 1— जिला अधिकारी, रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ उप-जिलाधिकारियों को इस सम्बन्ध में सूचित करने का कष्ट करें।
- 2— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट, रुद्रप्रयाग।
- 3— सिविल जज (सी०डि०), रुद्रप्रयाग।
- 4— सिविल जज (जू०डि०), रुद्रप्रयाग।
- 5— सिविल जज (जू०डि०), ऊखीमठ।
- 6— रीडर, जिला जजी, रुद्रप्रयाग।
- 7— अध्यक्ष, जिला बार संघ, रुद्रप्रयाग।
- 8— अध्यक्ष, बार संघ, तहसील मुख्यालय ऊखीमठ/जखोली।
- 9— प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, जिला जजी, रुद्रप्रयाग।
- 10—गार्ड फाइल, प्रशासनिक अनुभाग, जिला जजी, रुद्रप्रयाग।



(एस० पी० शुक्ला)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
जजशिप, रुद्रप्रयाग।